संख्या:165/2016/691/35-4-2016

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 28 अप्रैल,2016

विषय : वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में शासनादेश संख्या-567/35-4-2013 दिनांक 31 मार्च,2013 के द्वारा 8 कार्यों की रू. 9675.35 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 2902.61 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-1596/35-4-2013 दिनांक 27 नवम्बर, 2013 के द्वारा 07 कार्यों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू. 4624.64 लाख तथा शासनादेश संख्या-631/35-4-2014 दिनांक 30 मई,2014 के द्वारा 01 कार्य की द्वितीय किश्त के रूप में रू. 647.49 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-776/35-4-2014 दिनांक 17 जून, 2014 के द्वारा 04 कार्यों की तृतीय किश्त के रूप में रू. 931.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। मुख्य अभियंता,(मु0-1)लो0नि0वि0 के पत्र संख्या:2122 बी.जी./7बी.-3 त्व0आ0वि0यो0/ 2015-16 दिनांक 25 मई,2015 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोग होना इंगित किया गया है तथा पत्र संख्या:504 बी.जी./7बी.-3 त्व0आ0वि0यो0/2015-16 दिनांक 06 अप्रैल,2016 के द्वारा कार्यों के गुणवत्ता पूर्ण कराये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। एतदद्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत निम्न 04 कार्यो हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू. 310.41 लाख (रूपये तीन करोड़ दस लाख इक्तालीस हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त	द्वितीय किश्त में अवमुक्त	तृतीय किश्त में अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि
1	तिर्वा जी0एस0एस0टी0 मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	1286.09	385.83	643.04	192.90	1221.77	64.32
2	जी0टी0 मार्ग हरिहर कोल स्टोर होते हुए प्रेमपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	1640.93	492.28	820.46	246.10	1558.84	82.09
3	मानीमऊ–चेरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	1789.86	536.96	894.93	268.50	1700.39	89.47

http://shasanadesh.up.nic.in

	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त	द्वितीय किश्त में अवमुक्त	तृतीय किश्त में अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	अवशष्ट धनराशि
4	सियरमऊ–अनौगी–नदसिया वाया जिला जेल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	1491.14	447.34	745.57	223.70	1416.61	74.53
	योग	**6208.02**	**1862.41**	**3104.00**	**931.20**	**5897.61**	**310.41**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च,2013 एवं दिनांक 27 नवम्बर,2013 तथा दिनांक 30 मई,2014 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक/ाकघर/ ी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर ि ाजिट कार्यो के रू में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञा संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ि ाजिट क्रे ट लिमिट (ी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

3- इस शासनादेश से उक्त कार्यों के लिए अनुमोदित लागत के सा ेक्ष ूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानकों के अनुरू ूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही ूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदु योग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से ूर्व समर्ि त किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का ूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार र मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के श्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सा ेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्या ित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- कार्य ूर्ण होने र कार्यदायी संस्था द्वारा सम रीक्षित लेखे अनिवार्य रू से उ लब्ध कराये जायेंगे।

2- उ र्युक्त मद र होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं र ूंजीगत रिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे ाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञा संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://snaganadesh.up.nic.in

संख्या:165/2016/691(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा रीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण लायुक्त, कान ुर।
7- जिलाधिकारी, कन्नौज।
8- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
10- गार्ि फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- राज्य योजना आयोग-1
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in